

पत्रांक: 03 / विविध-6-243 / 19

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

हेमन्त कुमार भक्ता,
संयुक्त सचिव (प्र०)

सेवा में,

अतिभावत्पूर्ण सभी मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग।

E-mail मुख्य अभियन्ता,

FAX ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र,
F.F.P बिल्डिंग, धुर्वा, राँची।

उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
झारखण्ड, राँची।

प्रबन्ध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, राँची।

संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।

प्रशासक नगर निगम, राँची।

राँची / दिनांक :-

विषय :- कनीय अभियंताओं को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के निमित्त प्रस्ताव विभाग में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कनीय अभियंताओं को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया जाना है। संसमय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को न्यायालययाद आदि का सामना करना पड़ता है।

अतः वैसे कनीय अभियंता जिनका ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० दिसंबर 2019 तक देय है, का प्रस्ताव सेवा पुस्ति एवं अन्य आवश्यक कागजात के साथ विभाग में दिनांक-26.07.2019 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

₹०/-

(हेमन्त कुमार भक्ता)
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक— २.३.१.२.

राँची, दिनांक:- १९/७/१९

प्रतिलिपि— अभियंता प्रमुख—१ के प्रधान आप्त सचिव/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

हेमन्त कुमार भक्ता
(हेमन्त कुमार भक्ता)
संयुक्त सचिव (प्र०)
संसाधन विभाग